संख्या—178/15—7—08—1(299)/2007

प्रेषक,

अरूण कुमार मिश्र,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (मा0) एवं सभापति,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

शिक्षा (7) अनुभाग   लखनऊ: दिनांक 29 फरवरी, 2008

विषय:— सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु इच्छुक शिक्षण संस्थाओं को अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक—सा0(1)/शिविर/एन0ओ0सी0/18241/2007—08 दिनांक 23—1—2008 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त प्रदेश स्थित इच्छुक शिक्षण संस्थाओं को सी0बी0एस0ई0/आई0सी0 एस0ई0 नई दिल्ली स्थित परीक्षा बोर्डों से सबद्धता हेतु राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र शासनादेश संख्या—2762/15—13—91—4(46)/91 दिनांक 30—11—91 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं मानकों के अनुसार दिया जाता है। उक्त परीक्षा परिषदों से सबद्धता हेतु इच्छुक शिक्षण संस्थाओं को अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु वर्तमान में रूपये 1000/—आवेदन शुल्क के रूप में जमा कराये जाने की व्यवस्था प्रभावी है।

2— सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा उपर्युक्त आवेदन शुल्क की धनराशि रू0 1000/— को बढ़ाकर रूपये 10,000/—करने का निर्णय लिया गया है। आवेदन शुल्क की उक्त धनराशि राजकीय कोषागार में माध्यमिक शिक्षा विभाग की प्राप्तियों के सुसंगत लेखा शीर्षकों में पूर्व की भाँति एकमुश्त जमा की जायेगी।

3— इसके अतिरिक्त आई0सी0एस0ई0 नईदिल्ली से संबद्धता हेतु इच्छुक शिक्षण संस्थाओं को अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु शासन को प्रस्ताव/संस्तुति प्रेषित करते समय इस तथ्य का ध्यान रखा जाय कि संबंधित शिक्षण संस्था के पास विद्यालय संचालन हेतु नगरीय क्षेत्रों में कम से कम 1000 वर्गमीटर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम 4000 वर्गमीटर भूमि एकजाई रूप से संस्था/विद्यालय के नाम उपलब्ध हो।

4— कृपया उक्त शर्तो/प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय

(अरूण कुमार मिश्र)
प्रमुख सचिव।

पृ0संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—:

1— समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक,उत्तर प्रदेश।
2— समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक,उत्तर प्रदेश।
3— निरीक्षक,आंग्ल भारतीय विद्यालय,उत्तर प्रदेश,लखनऊ।
4— गार्ड बुक।

आज्ञा से,
(एस0एस0 प्रधान)